न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 11/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भंवरलाल पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर		1ग्राम पंचायत झाडेली पंचायत समिति, जायल जरिये सरपंच/सचिव। 2अर्जुनराम पुत्र सुखाराम जाति जाट 3कानदास पुत्र राधाकिशन जाति साद 4नाथूराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासीगण झाडेली तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल पोटलिया अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हरीराम धोलिया, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 से 4 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 31.07.19

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत झाडेली द्वारा प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 02.03.2014 को प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि पर बने मकान एवं चारदीवारी को हटाने बाबत लिया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 13.03.2014 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल के पत्र दिनांक 3.3.14 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत झाडेली के प्रमाण पत्र दिनांक 4.3.14 की फोटोप्रति, पंचायत समिति के सदस्य गीतादेवी के प्रमाण पत्र दिनांक 5.3.14 की प्रति, ग्राम पंचायत के पंच रामाराम दिनांक 7.3.14, बुधाराम दिनांक 7.3.14, बिडदी दिनांक 7.3.14, रामकंवरी दिनांक 7.3.14, हेमाराम दिनांक 7.3.14, हेमी दिनांक 7.3.14, मोहनी दिनांक 7.3.14, पेमाराम दिनांक 7.3.14 के शपथ पत्र की फोटोप्रतियां, विकास अधिकारी द्वारा लिखे पत्र दिनांक 5.2.14, प्रमाण पत्र कार्यालय प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाडेली दिनांक 24.2.14, प्रमाण पत्र गीतादेवी पंचायत समिति सदस्य, प्रमाण पत्र मुनमुन गहलोत प्रधानाध्यापम राबामावि झाडेली, प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक राप्रावि झाडेली, प्रधानाचार्य राउमावि झाडेली दिनांक 26.02.14, प्रार्थना पत्र खेताराम पोटलिया व अन्य दिनांक 24.2.14 की प्रति, प्रार्थना पत्र भंवरलाल दिनांक 26.02.14 की प्रति, सूचना चाहने का प्रार्थना पत्र भंवरलाल दिनांक 3.3.14 की प्रति, बीपीएल प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, नायब तहसीलदार डेह की तथ्यात्मक रिपोर्ट की फोटोप्रति, प्रार्थना पत्र कंवरी देवी व अन्य बाबत नोटिस खारिज करने की फोटोप्रति, एसडीओ जायल के पत्र दिनांक 26.7.14 की प्रति तथा अप्रार्थी नं. 1 की तरफ से शपथ पत्र हेमी दिनांक 7.5.14, शपथ पत्र पेमाराम दिनांक 7.5.14, शपथ पत्र मोहनी दिनांक 7.5.14, विवादित स्थल का फोटो, ग्राम पंचायत झाडेली का पत्र दिनांक 20.01.16, मोका रिपोर्ट ग्राम झाडेली मय नक्शा के, ग्राम पंचायत झाडेली के बैठक कार्यवाही की फोटोप्रति, नायब तहसीलदार की नाप रिपोर्ट, रजिस्टर नजूल की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 23.04.14 को श्री भंवर लाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात दिनांक 19.05.15 को श्री हरीराम धोलिया अधिवक्ता अप्रार्थी सं. की ओर से उपस्थित हुए। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया। दौराने कार्यवाही प्रार्थीगण अर्जुनराम, कानदास व नाथूराम ने जरिये वकील श्री भंवरलाल चौधरी के एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 3.7.15 को प्रस्तुत किया। जिन पर इन्हे अप्रार्थी सं. 2 से 4 पक्षकार दिनांक 08.03.16 को लिया गया है।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)– दिनांक 17.02.14 को सरपंच ग्राम पंचायत झाडेली के ससुर नथूराम ने एक फर्जी नोटिस सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर अन्य से करवा कर ग्राम पंचायत की सील लगाकर प्रार्थी के नाम जारी करवाया एवं प्रार्थी को अतिक्रमी बताकर अवैध निर्माण कार्य बंद करने का आदेश देकर दिनांक 20.02.14 को ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया। तब प्रार्थी ने उक्त नोटिस का जवाब पेश करने ग्राम पंचायत पहुचा। तब वहां न तो ग्राम सचिव उपस्थित था न ही कोई पंच उपस्थित थे। जिस पर प्रार्थी ने उक्त जवाब सरपंच के ससुर नथूराम को उसके घर पर जाकर दिया एवं ग्राम पंचायत के 8 पंचों ने भी नथूराम को उसके घर पर जाकर आवेदन पेश किया कि प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है। उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तेनी है। इस प्रकार 13 में

अपर कलक्टर, नागौर

से 8 पंचों ने लिखित आवेदन पेश किया व शेष पांच पंचों का बहुमत नही होने से भी प्रस्ताव जैर निगरानी पारित नही किया जा सकता।

2(2)– सरपंच पति नथूराम ने दिनांक 20.02.14 को पंचों की उपस्थिति नही होने से दिनांक 21.02.14 को एक ग्राम सभा बुलाने का गांव में कहलवाया ताकि ग्राम सभा की आड में प्रार्थी का मकान ध्वस्त करवाया जा सके। ग्राम सभा के लिये पंचायत एक्ट के प्रावधानो अनुसार 15 दिन पूर्व बैठक का प्रकाशन आवश्यक है एवं ग्राम सभा आहूत करने के लिये उसकी सूचना विधानसभा सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यो के साथ साथ विकास अधिकारी को भेजी जानी आवश्यक है व स्थानीय सरकारी कर्मचारी जैसे अध्यापक, उप स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी पटवारी वगैरा को भी भेजी जानी आवश्यक है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सूचना किसी भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी को नही दी गई एवं ग्राम सभा के नाम पर प्रार्थी का मकान तुडवाने की साजिश की गई, जिस पर सरकारी कर्मचारियो ने प्रमाण पत्र दिया कि दिनांक 21.2.14 को ग्राम पंचायत झाडेली की ग्राम सभा की सूचना इस कार्यालय को नही है व संपूर्ण कार्यवाही सरपंच के ससुर ने गोपनीय रखी व ग्रामवासियो के हस्ताक्षर घर घर जाकर करवाने की साजिश रची जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा विकास अधिकारी को दी गई। जिससे भी ग्राम सभा की कार्यवाही नही हुई।

2(3)– प्रार्थी को दूसरा फर्जी नोटिस, सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर नथूराम ने नोटिस दिनांक 24.2.14 को जारी करवाया व दिनांक 27.2.14 को जवाब पेश करने का लिखा। प्रार्थी दिनांक 27.2.14 को ग्राम पंचायत कार्यालय गया वहां पर न तो ग्राम सचिव था न कोई सरपंच या पंच ही थे। जिस पर प्रार्थी पुनः नथूराम के घर गया एवं जवाब नोटिस पेश किया एवं ग्राम पंचायत कार्यालय मे कोई कार्यवाही नही हुई।

2(4)– संपूर्ण पंचायत समिति जायल क्षेत्र मे ग्राम पंचायत की मीटिंग के लिये दो तारीखे निश्चित की हुई है व प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख निश्चित है। लेकिन ग्राम पंचायत कार्यालय मे कभी भी 5 व 20 तारीख को मीटिंग नही होती है एवं दिनांक 27.2.14 को ग्राम पंचायत की मीटिंग नही होते हुए भी नोटिस मे कार्यालय मे जवाब पेश करने का उल्लेख किया है। दिनांक 17.2.14 को एवं दिनांक 24.2.14 को एवं 27.2.14 को ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग की कोई तारीख तय नही हुई न ही ग्राम पंचायत के पंचो को इस तारीख की मीटिंग की कोई सूचना थी एंव विशेष आपात बैठक बुलाने के लिये तीन दिन पूर्व विधान सभा सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति व जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यो के साथ साथ विकास अधिकारी को भी सूचित किया जाना आवश्यक है फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी कार्यवाही निरंतर जारी रही व किसी भी पंच, सरपंच व सचिव के उपस्थित नही होते हुए भी कूटरचित दस्तावेज ग्राम पंचायत की प्रोस्डिंग मे अपने घर पर अन्य किसी व्यक्ति से तैयार करवाया। जिससे संपूर्ण कार्यवाही अवैध होने से प्रस्ताव सं. 1 निरस्तनीय है।

2(5)– किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिये बहुमत की आवश्यकता होती है। पंचो ने दिनांक 5.2.14 से दिनांक 5.3.14 तक कोई बैठक ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित करना नही बताया, शेष सदस्य अल्पमत मे है जिससे भी प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्तनीय है।

2(6)– ग्राम पंचायत के आठो पंचो ने प्रार्थी का मकान पुश्तेनी आबादी मे बडेर का सेकडो वर्ष पुराना पक्का व कच्चा मकान, होद व दीवारे बनी हुई होना शपथ पत्र मे उल्लेख किया है एवं आबादी भूमि मे कोई अतिक्रमण होना नही माना है। प्रार्थी की जायगा के सामने पंचायत द्वारा निर्मित सीमेंट की ईटो का खुर्रा बना होना एंव 30 फुट से अधिक रास्ता चौडा होने का उल्लेख किया है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है। जिससे भी प्रस्ताव जैर निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

2(7)– ग्राम पंचायत झाडेली मे कुल 13 पंच है जिनमे से 8 पंचो ने शपथ पत्र पेश कर ग्राम पंचायत की बैठक नही होना अपने शपथ पत्रो मे उल्लेख किया है। जिससे भी मात्र पांच पंच शेष रहते है जो भी ग्राम पंचायत मे उपस्थित नही थे, जिससे भी बहुमत के अभाव मे प्रस्ताव पारित होना नही माना जा सकता।

2(8)– प्रार्थीगण की ओर से कूटरचित प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 2.3.14 को सरपंच के ससुर नथूराम ने उपखण्ड अधिकारी को धोखा देकर पुलिस सहायता से अतिक्रमण हटाने का आवेदन पेश किया जिसकी सूचना मिलने पर प्रार्थी ने प्रस्ताव की नकल देने का निवेदन किया जो आवेदन उपखण्ड अधिकारी ने विकास अधिकारी को भेजा फिर भी प्रार्थी को नकल नही दी गई। प्रार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी सूचना उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम पंचायत को निवेदन किया, जिस पर ग्राम सेवक ने दिनांक 4.3.14 को प्रार्थी को प्रमाण पत्र दिया कि रिकार्ड दिनांक 4.3.14 तक मेरे पास उपलब्ध नही है जिससे भी स्पष्ट है कि दिनांक 4.3.14 तक संपूर्ण कार्यवाही से ग्राम सचिव को भी अनभिज्ञ रखा, ग्राम सेवक द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रोस्डिंग नही लिखी गयी व ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर व सबंधित पत्रावली पंचायत कार्यालय मे नहीं है। जिससे भी स्पष्ट है कि संपूर्ण कार्यवाही फर्जी है व ग्राम पंचायत की कोई बैठक आहुत नही हुई है।

2(9)– सरंपच के ससुर नथूराम ने दिनांक 17.2.14, 20.2.14, 21.2.14, 24.2.14, 27.2.14 एवं बाद मे दिनांक 2.3.14 को मीटिंगे होने का फर्जी कूटरचित रजिस्टर तैयार किया जिसमे ग्राम सेवक उपस्थित नही थे न कोई पंच उपस्थित थे न मीटिंग हुई एवं प्रार्थी का मकान ध्वस्त करने के लिये संपूर्ण साजिश रची व अविलंक ही उपखण्ड अधिकारी को फर्जी कार्यवाही के आधार पर पुलिस ईमदाद लेकर मकान तुडवाने पर आमादा है एंव उच्च

अपर कलक्टर, नागौर

अधिकारियो के कहने के बावजूद नकल तक उपलब्ध नही करवायी जा रही है जिससे भी स्पष्ट है कि आदेश जैर निगरानी कूटरचित है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

2(10)– दिनांक 5.3.14 को उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थी ने नकले उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पेश किया लेकिन उपखण्ड अधिकारी भी नकले उपलब्ध करवाने मे असमर्थ है। उससे पूर्व दिनांक 23.2.14 कसे विकास अधिकारी को कार्यवाही की नकल दिलाने का आवेदन प्रस्तुत हुआ लेकिन नकले उपलब्ध आज दिन नही जानबूझकर नही करवायी क्योकि संपूर्ण रेकर्ड पंचायत मे उपलब्ध नही होकर सरपंच के ससुर नथूराम के पास है जिससे स्पष्ट है कि संपूर्ण कार्यवाही पंचायत द्वारा विधिवत रूप से संचालित नही कर सरंपच ससुर संचालित करता है।

2(11)– प्रार्थी द्वारा भरसक प्रयास करने के बावजूद उसे प्रस्ताव जैर अपील की नकल प्राप्त नही हो सकी है एवं ग्राम सेवक भी अपने पास उपलब्ध नही होना बता रहा है जिससे उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिख पत्र के आधार पर निगरानी पेश की।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा यह तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायत झाडेली ने अपने पत्र दिनांक 20.01.16 के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.15 के अनुसार प्रार्थी भंवरलाल का कोई अतिक्रमण ग्राम पंचायत की भूमि अथवा रास्ते की भूमि अथवा पटवार घर की भूमि पर नही है। उक्त मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा बनवाई गई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा बैठक कार्यवाही मे भी भंवरलाल का कोई अतिक्रमण नही होने को लेकर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इससे भी प्रार्थी का वर्तमान मे पटवार भवन/सार्वजनिक/रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही होना ही साबित होता है।

4– वकील अप्रार्थी सं. 2 से 4 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि –

4(1)– प्रार्थी ने पटवार भवन व अन्य सार्वजनिक उपयोग (आम रास्ते) की भूमि पर अतिक्रमण किया। ग्राम पंचायत, पटवारी व नायब तहसीलदार ने मौका निरीक्षण के पश्चात प्रार्थी का ग्राम झाडेली के आबादी क्षेत्र की भूमि पर ताजा अवैध अतिक्रमण करना माना। उक्त अतिक्रमण से पटवार घर के टांके तक पानी का टैंकर व अन्य वाहन आने जाने का रास्ता अवरूद्व हो गया। पटवार भवन का पक्का निर्माण 34x26 वर्गफुट पर अवश्य है। मगर प्रार्थी ने टांके के पास व पटवार भवन की पूर्वी जमीन पर ताजा अतिक्रमण कर लिया। उक्त भवन पर पटवार भवन की खिडकिया व रोशनदान खुलते है। यह भूमि टांके मे पानी डालने व निकालने के उपयोग मे आती रही है। जिस पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही रहा तथा न ही उसके कब्जे मे रही। जनवरी 15 से वर्तमान ग्राम पंचायत का सरपंच व पंच प्रार्थी के पक्ष के लोग है। जो अतिक्रमण कायम रखने मे मदद करते रहे है।

4(2)– ग्राम पंचायत के पंचो ने कभी कोई मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 7.2.14 को तैयार नही की। बल्कि यह रिवीजन पेश होने के पश्चात तत्कालीन ग्राम पंचायत जो पंच प्रार्थी के पक्ष के है। उनके हस्ताक्षर करवा कर मिथ्या रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिये उक्त मूल निरीक्षण रिपोर्ट से संबंधित कोई दस्तावेज पंचायत मे नही है। चूकि उक्त रिपोर्ट स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा तैयार नही करवायी गयी थी। इसलिये कूटरचित दस्तावेज की प्रति साक्ष्य मे ग्राह्य नही हो सकती। विवादित भूमि पर प्रार्थी का कोई मकान बना हुआ नही है तथा नही कोई निर्माण किया हुआ है।

4(3)– वकील अप्रार्थी सं. 2 से 4 ने वकील अप्रार्थी सं. 1 की बहस का जवाब देते हुए बताया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.15 पंचो द्वारा अपनी मनमर्जी से बनाई हुई है तथा वर्ष 2015 से वर्तमान ग्राम पंचायत के सरपंच व पंच प्रार्थी पक्ष के लोग है। जिन्होने प्रभाव मे आकर विवादित स्थल पर अतिक्रमण नही होने की मौका रिपोर्ट तैयार करने एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिये गये है। जबकि वास्तविकता यह है कि वर्तमान मे भी प्रार्थी द्वारा दीवार एवं तारबंदी द्वारा किया गया अतिक्रमण/अवरोध कायम है तथा सार्वजनिक आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर पटवार घर के पास का आवागमन का रास्ता अवरोधित किया हुआ है।

4(4)– प्रार्थी द्वारा आम रास्ते की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ग्रामवासियो की शिकायत पर दिनांक 17.2.14 को ग्राम सभा मे कार्यवाही कर पत्रावली कायम की गई है तथा नायब तहसीलदार डेह के मौका निरीक्षण अनुसार अतिक्रमण पाया गया तथा प्रार्थी भवंरलाल को नोटिस देकर सुनवाई करते हुए ही ग्राम पचांयत द्वारा संकल्प लिया गया है तथा विवादित भूमि के पास स्थित प्रार्थी के मकान / जायगा का कोई विधिक स्वामित्व / पटटा प्रार्थी के पास नही है तथा अपने कब्जे की भूमि को बढाते हुए विवादित स्थल पर अतिक्रमण किया गया है। जिसे ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 2.3.14 के द्वारा हटाये जाने का विनिश्चय किया गया है। जो नियमानुसार है।

5– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी भंवरलाल पुत्र चूनाराम द्वारा आबादी भूमि ग्राम झाडेली मे पटवार भवन के उत्तरी पूर्वी जगह पर अतिक्रमण किये जाने की ग्रामवासियो की शिकायत पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव जैर निगरानी लिया गया है। उक्त प्रस्ताव एवं कार्यवाही से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली का संधारण भी किया गया है तथा प्रार्थी को तलब कर सुनवाई आदि का मौका भी दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी झाडेली की रिपोर्ट दिनांक 23.2.14 से भी पटवार भवन की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.16 के द्वारा पंचो की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.15 व बैठक

नागौर

कार्यवाही पंजिका प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थी भंवरलाल का कोई अतिक्रमण ग्राम पंचायत/रास्ता या पटवार घर की भूमि पर नही होना प्रकट किया गया है। जबकि वास्तविक रूप से भंवरलाल द्वारा किया गया अतिक्रमण दीवार / तारबंदी हट गई हो, ऐसा दस्तावेजी आधार से साबित नही है। प्रार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि हेतु उसका कोई स्वामित्व अधिकार / पटटा हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नही किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए संकल्प पारित किया गया है। जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी ठोस आधारो पर नही होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है।

7– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलेक्टर, नागौर

अपर कलेक्टर, नागौर